### **PART-I**

#### HARYANA GOVERNMENT

# LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

#### Notification

The 19th September, 2020

No. Leg. 29/2020.— The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the Governor of Haryana on the 16th September, 2020 and is hereby published for general information:-

### HARYANA ACT NO. 19 OF 2020

# THE HARYANA MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ACT, 2020

## AN ACT

further to amend the Haryana Municipal Corporation Act, 1994.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Act, 2020.

Short title.

2. In the proviso to sub-section (4) of section 4 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (hereinafter called the principal Act), for the words "five years", the words "five years and six months" shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 10th October, 2008.

Amendment of section 4 of Haryana Act 16 of 1994

3. After clause (c) of section 164 of the principal Act, the following clause shall be inserted, namely:-

Amendment of section 164 of Haryana Act 16 of 1994.

"(ca) the consideration for which any immovable property may be sold, leased or otherwise transferred to social, religious or charitable institution, trust or social entities shall be as given below:-

Serial number	Nature of facility	Area	Tentative rate of sale
1	2	3	4
1.	Religious sites – the land of Municipal Corporation for the purpose of worship (Mandir, Gurudwara, Masjid, Church, etc.) and for Community Dharamshalas, Janjghar, Baratghar or community centres, etc.	upto 3000 square meters	(i) upto 2000 square meters, 50% of the Collector rate, proportionate cost of development of the area and other incidental charges thereto.  (ii) for 2001-3000 square meters, 100% of the Collector rate, proportionate cost of development charges of the area and other incidental charges thereto.
2.	Nandi Shala, Gaushalas or stray cattle yard.	upto 5 acres	50% of the Collector rate, proportionate cost of development charges of the area and other incidental charges thereto:

Provided that the property shall be transferred by way of sale, lease or otherwise subject to prior approval of such authority, as may be notified by the Government.".

Amendment of section 421 of Haryana Act 16 of 1994.

- 4. After sub-section (2) of section 421 of the principal Act, the following sub-section shall be added and shall be deemed to have been added with effect from the 4<sup>th</sup> October, 2018, namely:-
  - "(3) Notwithstanding anything contained in the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018, appointment, removal or suspension of person elected as Mayor of Municipal Corporation before coming into force of the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018 or filling up of any post/office vacated by such person shall continue to be governed by the respective provisions of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 that existed immediately prior to the coming of the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018 into force.

All the acts done/proceedings instituted or which might have been instituted or shall be instituted against any of the person elected as Mayor of Municipal Corporation prior to coming into force of the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018 shall continue to be governed by the respective provisions of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 that existed immediately prior to the coming of the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Act, 2018 into force."

Repeal and saving.

- 5. (1) The Haryana Municipal Corporation (Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No. 4 of 2020) and the Haryana Municipal Corporation (Second Amendment) Ordinance, 2020 (Haryana Ordinance No. 7 of 2020), are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinances shall be deemed to have been done or taken under this Act.

BIMLESH TANWAR, ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA, LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.

8908-L.R.-H.G.P., Pkl.

122 nudi 24-08-2-20

2020 का हरियाणा विधेयक संख्या.....

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2020 हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 4 की उप—धारा (4) के परन्तुक में, ''पांच वर्ष'' शब्दों के स्थान पर, ''पांच वर्ष तथा छह मास'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 10 अक्तूबर, 2008 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

3. मूल अधिनियम की धारा 164 के खण्ड (ग) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा,

3. मूल अधानयम का धारा 164 के खण्ड (ग) के बाद, गिमालाखर खण्ड रखा जार्गा अर्थात् :-

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 164 का संशोधन।

संक्षिप्त नाम ।

की धारा 4 का संशोधन ।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16

> "(गक) प्रतिफल, जिसके लिए कोई अचल सम्पत्ति किसी सामाजिक, धार्मिक या धर्मार्थ संस्था, न्यास या सामाजिक संस्था को बेची, पट्टे पर दी या अन्यथा अन्तरित की जा सकती है, निम्न अनुसार होगा:—

कम संख्या	सुविधा का स्वरूप	क्षेत्र	बिकी की अनन्तिम दर
1.	धार्मिक स्थल – पूजा (मंदिर,	3000	(i) 2000 वर्ग मीटर तक, कलक्टर दर,
	गुरूद्वारा, मस्जिद, चर्च	वर्ग	क्षेत्र के विकास की आनुपातिक लागत और
	इत्यादि) के प्रयोजन के लिए	मीटर	उसके अन्य आनुषंगिक प्रभारों का 50
	तथा सामुदायिक धर्मशालाओं,	तक	प्रतिशत ।
	जंजघर,। बरातघर या		(ii) 2000—3000 वर्ग मीटर के लिए,
	सामुदायिक केन्द्रों, इत्यादि के		कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास की
	लिए नगर निगम की भूमि।		आनुपातिक लागत और उसके अन्य
	4:		। आनुषंगिक प्रभारों का 100 प्रतिशत।
2.	नन्दीशाला, गोशाला या	5 एकड़	कलक्टर दर, क्षेत्र के विकास की
	आवारा पशु यार्ड।	तक	आनुपातिक लागत और उसके अन्य
			आनुषंगिक प्रभारों का 50 प्रतिशत।

परन्तु सम्पत्ति, ऐसे प्राधिकारी, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, के पूर्व अनुमोदन के अध्यधीन बिकी, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से अन्तरित की जाएगी।"।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 421 का संशोधन,।

- 4. मूल अधिनियम की धारा 421 की उप—धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप—धारा जोड़ी जाएगी तथा 4 अक्तूबर, 2018 से जोड़ी गई समझी जाएगी, अर्थात् :—
  - "(3) हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व नगर निगम के महापौर के रूप में निर्वाचित व्यक्ति की नियुक्ति, हटाया जाना या निलम्बन या ऐसे व्यक्ति द्वारा रिक्त किए गए किसी पद पदवी का भरा जाना, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शासित किया जाता रहेगा।

हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से पूर्व नगर निगम के महापौर के रूप में निर्वाचित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए सभी कार्य/संस्थित कार्यवाहियां या जो संस्थित की जा सकती हैं या संस्थित की जाएंगी, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के संबंधित उपबन्ध, जो हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2018 के लागू होने से ठीक पूर्व विद्यमान थे, द्वारा शासित की जाती रहेंगी।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

- 5. (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4) तथा हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 7), इसके द्वारा, निरसित किए जाते हैं।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण